Rs.5 INDIA FIVE RUPEES भारत पाँच रुपये
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

163

प्रकरण क्रमांक /अपील/2018–19

प्रस्तुती दिनांक – 19-12-2018

रा. रा. श्रीमान राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के समक्ष

अपील – 6514/2018/इंदौर/भू.रा.

विनोद वाघ पिता स्व. रघुनाथराव वाघ
उम्र – 63 वर्ष, धंधा – पेंशनर
निवासी – 1511–बी, स्कीम नंबर 71,
रंजीत हनुमान मंदिर के पीछे, इन्दौर (म.प्र.) —— अपीलार्थी

श्री वकील द्वारा 19-12-18 पेश किया 19-12

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रमुख सचिव
   राजस्व विभाग
   वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.)
2. अतिरिक्त जिलाधीश
   जिला इन्दौर, इन्दौर (म.प्र.)
3. नजूल अधिकारी, इन्दौर
   जिलाधीश कार्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
4. पुलिस अधीक्षक,
   पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,
   मुसाखेडी, इन्दौर (म.प्र.)
5. भूतपूर्व सैनिक आदर्श गृह निर्माण सहकारी संस्था
   मर्यादित, इन्दौर
   पता – 16, कान्यकुब्ज नगर, एरोड्रम रोड,
   इन्दौर (म.प्र.) —— प्रत्यर्थीगण

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 44(2)(iii)(b) म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

न्यायालय अपर आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 518/अपील/2015–16 एवं अन्य प्रकरणों में दिनांक 23.03.2018 को पारित निर्णय जिसके द्वारा अधीनस्थ अतिरिक्त जिलाधीश इन्दौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 3/अ–39/2012–13 आदेश दिनांक 25.06.2014 की पुष्टि करते हुए अन्य संबंधित गृह निर्माण संस्था के सदस्यों द्वारा

अविरत...

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 6514/2018/इंदौर/18/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-04-19	अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह अपील अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश 21-5-2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । अपील मेमों एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया गया । अपीलार्थी द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध सीधे इस न्यायालय में अपील पेश की गई है, जबकि नियमानुसार अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आयुक्त न्यायालय में प्रकरण दर्ज करना चाहिये था । अत: यह अपील इस न्यायालय में प्रचलन योग्य नहीं होने से अग्राहय की जाती है । अध्यक्ष	